



Government of Rajasthan e-Registration Fee Receipt

FIRST COPY

SRO Unique ID	20122024AJ	Receipt Date	28-MAR-2024 12:42
S R Location	AJMER I		
Receipt No	RJ1272020880721		
Name Of Saller	ANIL SHARMA ADV		
Name Of Buyer	NA		
Type of Document	Others - Search		
ACC Reference	NONSH/MANMOHAN SHARMA/AJMER		

Paid Fees

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 0	CSI	₹ 0
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 650
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 650	Service Charges	₹ 10
Grand Total	₹ 660		
(Rupees Six Hundred Sixty Only)			



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shclstamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

ANIL SHARMA

Advocate Rajasthan High Court

Office-cum-Residence-32, U.I.T. Quarters, Shastri Nagar, AJMER M'ble - 9414010765

SR/240672

dt. : 28/03/2024

TITLE REPORT

To whomsoever it may concern

Subject :- Title Search Report of **Sh. Vineet Bhansali s/o Satya Narayan Maheshwari** the
Khata no. 1383 Old & 1385 New, Khasra no. 2721 measuring 0.3200 Hectare,
Situated at Village Kayar, Tehsil and Dist. Ajmer.

Name of Owners with Full Address:-

**Sh. Vineet Bhansali s/o Satya Narayan Maheshwari R/o Village Ghooghra, Tehsil and
Dist. Ajmer.**

List of documents :-

- (1) Certified Copy of Jamabandi dt. 13/09/2023 Samvat 2072 – 2075 issued in favour of **Sh. Vineet Bhansali s/o Satya Narayan Maheshwari**,
- (2) Original Order no. 101020 dt. 02/11/2023 issued by A.D.A. Ajmer in favour of **Sh. Vineet Bhansali s/o Satya Narayan Maheshwari**
- (3) **Original Lay-Out Permission Letter No. 4346 dt. 21/03/2024** issued by A.D.A. Ajmer in favour of **Sh. Vineet Bhansali s/o Satya Narayan Maheshwari (With Plan)**

Conclusion / Observation if any

As per the photocopy/Xerox of the documents submitted by the party and details mentioned therein, I am of the opinion that **Sh. Vineet Bhansali s/o Satya Narayan Maheshwari** is the absolute owners of above khasra land/said land is clear, marketable and free from all encumbrances.


Advocate Anil Sharma

ANIL SHARMA
ADVOCATE



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- कायड

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2073 - 2076

पटवार हल्का :- कायड

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- गगवाना

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- अजमेर

खाता संख्या नया :- 1385

जिला :- अजमेर

खाता संख्या पुराना :- 1383

काश्तकार का नाम :-

1. विनित भंसाली पुत्र सत्यनारायण माहेश्वरी हिस्सा- पूर्ण जाति- माहेश्वरी House No.-, Colony- KRISHAN KUNJ JAIPUR ROAD, Area- GHOOGHRA, City- AJMER, Pin code- 305023, District- AJMER, State- RAJASTHAN खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
2721	0.3200 बारानी 1	0.3200	1.92	स्वीकृत नामान्तरकरण : 1606 13/09/2023बेचान	
कुल खसरे -1	0.3200		1.9200		

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - Vineet Bhansali

पता - ghooghra

प्रतिलिपि सं. - 23574

आई.पी. - 10.70.244.252

दिनांक व समय -13/Sep/2023 06:37:00 PM

नक़ल जारी करने का स्थान - अजमेर

यू.एस.एन - 1215831138516061

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=1215831138516061>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता -

पद - तहसीलदार

VIJAYPAL02.CTD@RAJASTHAN.GOV.IN

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 13/Sep/2023 04:39:00 PM



राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 13/09/2023 06:38:42 PM

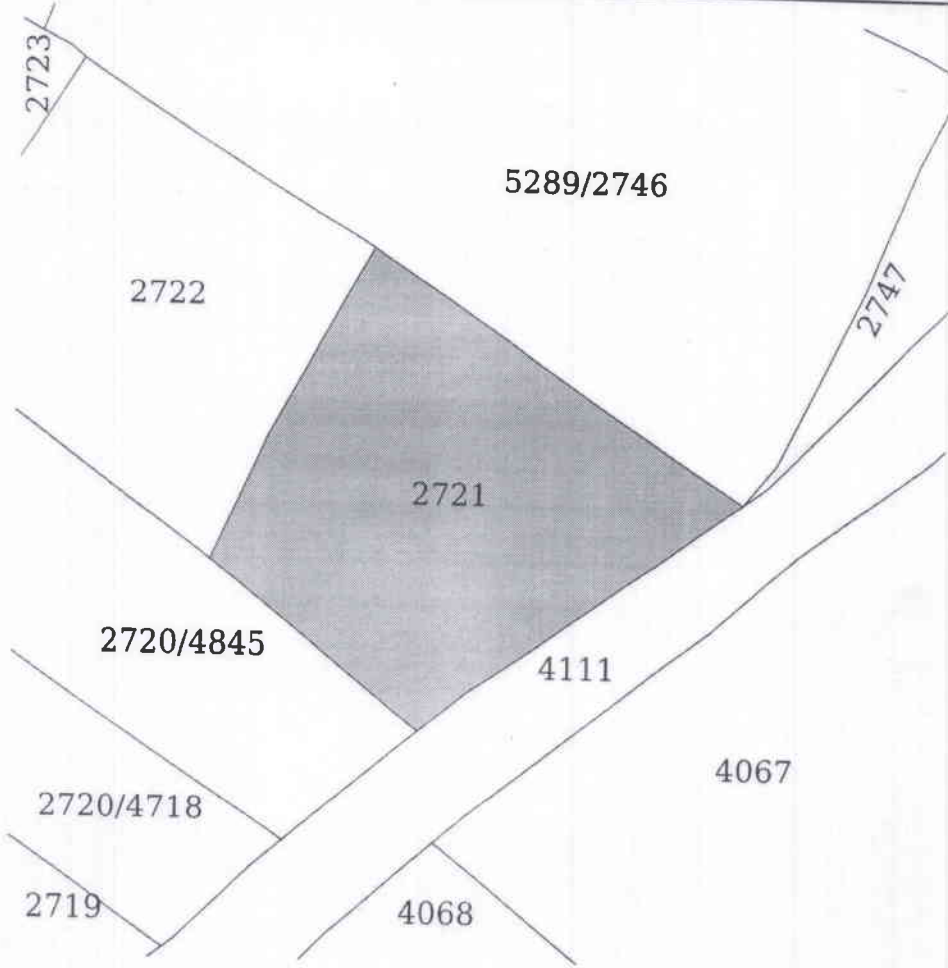
जिला : अजमेर

तहसील : अजमेर

भू. अ. नि. क्षेत्र : गावाना

पटवारी हल्का : कायड

ग्राम : कायड



Scale 1:1000

खसरा संख्या : 2721 क्षेत्रफल : 0.3200 Hectare खाता संख्या : 1385 पुराना खाता संख्या : 1383

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी 1 [0.3200, 1.92]

1.) विनित भंसाली पुत्र सत्यनारायण माहेश्वरी हिस्सा- पूर्ण जाति- माहेश्वरी House No.-, Colony- KRISHAN KUNJ JAIPUR ROAD, Area- GHOOGHRA, City- AJMER, Pin code- 305023, District- AJMER, State- RAJASTHAN खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर (जोन उत्तर) राजस्थान सरकार

क्रमांक: LU2012/ADA/2023-24/101020

दिनांक: 02/11/2023

विषय: — राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री **VINEET BHANSALI** पुत्र श्री **SATYANARAYAN MAHESHWARI** जाति **MAHESHWARI** निवासी **KRISHNA KUNJ] GHOOGHRA] JAIPUR ROAD] AJMER**

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90—क के अधीन भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	कायड , अजमेर (अजमेर)	VINEET BHANSALI	2721	3200	0.32
कुल					0.32

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की —मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

6. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **02-11-2023** को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन उत्तर)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

